मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारां कत प्रश्न सं. **35**45
10.08.2026 को उत्तर के लए

उत्तर प्रदेश की रामगंगा नदी में औद्यो गक प्रदूषण

3545 श्रीमती रु च वीराः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) क्या उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रामगंगा नदी को प्रभा वत करने वाले औद्यो गक प्रदूषण का मूल्यांकन करने के लए कोई आकलन कया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या धातु प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा होने वाले भारी धातु संदूषण की कोई जांच की गई है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वगत पांच वर्षों के दौरान जिम्मेदार पाई गई औद्यो गक इकाइयों के वरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और
(घ) क्या रामगंगा नदी में मुरादाबाद खंड के लए कोई नदी पुनरुद्धार कार्यक्रम तैयार कया गया है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन संह)

(क)से (घ) : राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनडब्ल्यूएमपी) के तहत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण स मतियों (पीसीसी) के सहयोग से नदियों पर 2265 स्थानों सहित 4922 स्थानों पर देश में जलीय संसाधनों की जल गुणवत्ता की निगरानी करता है, ता क जल निकायों में प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण को सु वधाजनक बनाने के लए जल संसाधनों की जल गुणवत्ता की स्थिति का निय मत आकलन कया जा सके।

वर्तमान में रामगंगा नदी की निगरानी एनडब्ल्यूपी के तहत तीन स्थानों पर की जा रही है, जिसमें बिजनौर, पौड़ी गढ़वाल और फर्रुखाबाद में एक-एक निगरानी स्थान शा मल है। एनडब्ल्यूएमपी के तहत जल गुणवत्ता डेटा प्रदू षत नदी खण्डों (पीआरएस) की पहचान करने के लए उपयोग कया जाता है, जो नदी स्थल/खण्ड में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) पैरामीटर (जै वक प्रदूषण का संकेतक) के आधार पर बाह्य स्नान के लए प्राथ मक जल गुणवत्ता मानदंड को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें प्रदू षत स्थल/खण्ड के रूप में अ भज्ञात कया जाता है। पीआरएस को प्राथ मकता वर्ग । से V के तहत वर्गीकृत कया गया है जिसमें प्राथ मकता । सबसे प्रदू षत है और प्राथ मकता V सबसे कम प्रदू षत है।
एनडब्ल्यूपी के तहत, वर्ष 2018 में, सीपीसीबी ने प्राथ मकता वर्ग-IV (बीओडी 6 mg/L-10 mg/L) के तहत उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद से कन्नौज तक रामगंगा नदी के एक पीआरएस सहित कुल 351

पीआरएस की पहचान की। प्रदू षत नदी खण्डों के जल की गुणवत्ता को स्नान योग्य बनाने (यानी बीओडी 3 mg/L) के लए व्यापक कार्य योजनाएँ तैयार की गईं, जिनमें औद्यो गक प्रदूषण को नियंत्रित करने की योजना भी शा मल थी। कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा राज्य स्तर पर नदी पुनरुद्धार स मतियों (आरआरसी) और केंद्रीय स्तर पर स चव, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित केंद्रीय निगरानी स मति (सीएमसी) द्वारा की जाती है। ठोस प्रयासों से, वर्ष 2025 में पीआरएस की कुल संख्या घटकर 296 हो गई है, जिसमें प्राथ मकता वर्ग IV के तहत कालागढ़ से बिजनौर तक रामगंगा नदी का एक पीआरएस शा मल है।

इसके अलावा, वर्ष 2017 से तृतीय पक्षकार तकनीकी संस्थानों तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण स मतियों के अ धकारियों के संयुक्त दलों द्वारा सीपीसीबी गंगा और यमुना नदी के मुख्य प्रवाह वाले राज्यों में संचा लत सकल प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) का वा र्षक निरीक्षण करता है, जिसका गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में अप शष्ट गराने की क्षमता है। यह निरीक्षण में रामगंगा नदी में गरने वाले जीपीआई भी शा मल हैं। सीपीसीबी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार देश में सकल प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) द्वारा ऑनलाइन निरंतर अप शष्ट निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) स्था पत की गई है। ओसीईएमएस से उत्पन्न अलर्ट के आधार पर, सीपीसीबी चयनित उद्योगों का औचक निरीक्षण भी करता है।

सीपीसीबी द्वारा की गई सूचना के अनुसार, मुरादाबाद में स्थित धातु प्रसंस्करण क्षेत्र में सकल प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) का तृतीय पक्ष तकनीकी संस्थानों और संबं धत एसपीसीबी की संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण कया गया था। वर्ष 2021 और वर्ष 2022 के दौरान, मुरादाबाद जिले में कसी भी धातु प्रसंस्करण इकाई को जीपीआई श्रेणी के तहत सूचीबद्ध नहीं कया गया है। तथा प, वर्ष 2023, वर्ष 2024 और वर्ष 2025 में कए गए निरीक्षण के दौरान क्रमशः 55, 51 और 23 धातु प्रसंस्करण इकाइयों को गैर अनुपालन श्रेणी में पाया गया। कुल 129 गैर अनुपालन इकाइयों में से, 124 इकाइयों को कारण बताओ नोटिस जारी कया गया है और 05 इकाइयों को बंद कर दिया गया है।
